

Treaty Series No. 17 (1997)

Agreement

between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of India

on Co-operation in Science and Technology

New Delhi, 8 January 1996

[The Agreement entered into force on 8 January 1996]

Presented to Parliament
by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
by Command of Her Majesty
March 1997

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON CO-OPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of India (herein after referred to as Contracting Parties);

Desiring to promote further the close and friendly relations existing between their two countries;

Being aware of the rapid expansion of scientific knowledge and of its positive contribution in promoting bilateral and international cooperation; and

Wishing to broaden the scope of scientific and technological cooperation through the creation of a productive partnership for peaceful purposes and for mutual benefit;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

The Contracting Parties shall develop cooperative activities in such areas of science and technology as may be mutually agreed for peaceful purposes.

ARTICLE II

Cooperative activities under this Agreement may include:

- (a) Meetings of various forms, such as those of experts, to discuss and exchange information on scientific and technological aspects of general or specific subjects and to identify research and development projects and programmes that may be usefully undertaken on a cooperative basis;
- (b) Exchange of information on activities, policies, practices, and laws and regulations concerning research and development;
- (c) Visits and exchanges of scientists, technical personnel, or other experts on general or specific subjects;
- (d) Implementation of agreed cooperative projects and programmes; and
- (e) Other forms of cooperative activities as may be mutually agreed.

ARTICLE III

- (1) Implementing arrangements setting forth the details and procedures of the specific cooperative activities under this Agreement may be made between the Contracting Parties or their agencies, whichever is appropriate.
- (2) The agencies designated for the above purpose shall be Office of Science and Technology, Department of Trade and Industry from the British side and the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India from the Indian side.

ARTICLE IV

- (1) Implementation of this Agreement shall be subject to the availability of appropriate funds and in accordance with the applicable laws and regulations of each country.
- (2) Costs for the cooperative activities under this Agreement shall be borne as may be mutually agreed.

ARTICLE V

For the purpose of effective implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall make such arrangements as may be appropriate to:

(a) Exchange information and views on scientific and technological policy issues;

- (b) Review and discuss the cooperative activities and accomplishments under the Agreement; and
- (c) Provide advice to the nodal implementing agencies with regard to the implementation of this Agreement, which may include identification and proposition of the cooperative activities thereunder and encouragement of their implementation.

ARTICLE VI

- (1) Scientific and technological information of non-proprietary nature arising from the cooperative activities under this Agreement may be made available to the public by either Contracting Party through customary channels and in accordance with the normal procedures of the participation agencies.
- (2) In accordance with the laws and regulations of the respective countries and with relevant international agreements to which the United Kingdom and India are or will become parties, the Contracting Parties shall ensure the adequate and effective protection and fair distribution of intellectual property rights or the other rights of a proprietary nature resulting from the cooperative activities undertaken pursuant to this Agreement. The Contracting Parties shall consult one another for this purpose as necessary.

ARTICLE VII

Nothing in this Agreement shall be construed to prejudice other agreements for cooperation between the two Governments existing at the date of signature of this Agreement or concluded thereafter.

ARTICLE VIII

- (1) This Agreement shall enter into force on the date of signature thereof. It shall remain in force for two years and shall continue in force thereafter unless terminated by either Government at the end of the initial two-year period or at any time thereafter by giving to the other Government at least six months written advance notice of its intention to terminate this Agreement.
- (2) The termination of this Agreement shall not affect the carrying out of any project or programme undertaken under this Agreement and not fully executed at the time of the termination of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Government, have signed this Agreement.

DONE in two originals at New Delhi on this 8th day of January 1996 in Hindi and English, both texts being equally authoritative.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Government of the Republic of India

IAN LANG

B. CHATURVEDI

पूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दन आयरलैण्ड की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार

यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दन आयरलैण्ड की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके बाद संविदाकारी पक्षकार कहा गया है);

दोनों देशों के बीच विद्यमान घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और संवंधित करने की इच्छा सेः वैज्ञानिक ज्ञान के त्वरित विस्तार तथा द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में इसके सकारात्मक अवदान के महत्व को जानते हुए : और

शांतिपूर्ण उद्देश्यों तथा आपसी लाभ के लिए हितकारी भागीदारी के सृजन के जरियें वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग के क्षेत्र को व्यापक बनाने की इच्छा से :

नीचे लिखे अनुसार सहमति हुई है:

अनुच्छेद ।

संविदाकारी पक्षकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आपसी सहमति के आधार पर सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद ॥

इस करार के अंतर्गत सहयोग के कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) सामान्य अथवा विशिष्ट विषयों के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पक्षों पर सूचना संबंधी विचार-विमर्श तथा आदान-प्रदान के लिए विशेषज्ञों के विभिन्न वर्गों की बैठकें तथा अनुसंघान एवं विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों का पता लगाना जिन्हें सहयोग के आधार पर उपयुक्त रूप से प्रारंभ किया जा सके:
- (ख) अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्यकलापों, नीतियों, व्यवहारों तथा विधियों स्त्रं विनियमों पर सूचना का आदान-प्रदानः
- (ग) सामान्य अथवा विशिष्ट विषयों पर वैज्ञानिकों, तकनीकी कार्मिकों, अथवा अन्य विशेष्ट्यों का दौरा एवं आदान-प्रदानः
- (घ) सहमत हुए सहयोग परियोजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयनः तथा
- (इ.) अन्य रूप में सहयोग संबंधी कार्य जिन पर आपस में सहमति हो ।

अनुच्छेव ॥।

- (1) इस करार के तहत संविदाकारी पक्षकारों अथवा उनकी एजेंसियों के बीच, जो भी उपयुक्त हो, विशिष्ट सहयोगात्मक कार्यों के ब्यौरे तथा कार्यविधियों को स्थापित करने के लिए व्यवस्था का कार्यान्वयन. किया जाएगा।
- (2) उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ब्रिटेन की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यालय, व्यापार और उद्योग विभाग तथा भारतीय पक्ष की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, एजेंसियों के रूप में नामित होंगे ।

अनुच्छेद IV

- (1) इस करार का कार्यान्वयन उपयुक्त निधियों की उपलब्धता तथा दोनों देश में लागू विधियों व विनियमों के अनुसार होगा ।
- (2) इस करार के अंतर्गत सहयोग कार्यों के खर्चों का वहन आपसी सहमति के अनुसार किया जायेगा ।

अनुच्छेद ४

इस करार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेंगे:

- (क) वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय नीतिगत मामली पर सूचना तथा विचारों का आदान-प्रदानः
- (ख) करार के तहत सहयोग कार्यों एवं उपलब्धियों की समीक्षा तथा विचार-विमर्शः और
- (ग) इस करार के कार्यान्वयन के संबंध में नोडल कार्यान्वयन एजेंसियों को परामर्श देना, जिनमें उनके उसके तहत सहयोगात्मक कार्यों का पता लगाने तथा प्रस्ताव करने और उनके कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने जैसे कार्य शामिल होंगे ।

अनुच्छेद VI

- (1) इस करार के तहत सहयोग कार्यों से उत्पन्न ग्रैर-स्वामित्व प्रकृति की वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सूचना को परम्परागत माध्यमों के जरिये भागीदार एजेंसियों की सामान्य कार्यविधियों के अनुसार किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा आम जनता को उपलब्ध कराया जा सकेगा ।
- (2) दोनों देशों की विधियों एवं विनियमों के अनुरूप और ऐसे संगत अंतर्राष्ट्रीय करारों जिनके भारत और ब्रिटेन पक्ष हैं अथवा बनेंगे, उनमें दोनों संविदाकारी पक्ष बौद्धिक सम्पदा अधिकारों अथवा इस करार के अनुपालन के अनुक्रम में सहयोगी गतिविधियों से उत्पन्न स्वामित्व प्रकृति वाली चीजों के अधिकारों को पर्याप्त एवं प्रभावी संरक्षण तथा उनके न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करेंगे । इस प्रयोजन के लिए दोनों संविदाकारी पक्षकार यथा आवश्यक एक दूसरे से परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेव VII

इस करार के हस्ताक्षर की तिथि को विद्यमान तथा दोनों सरकारों के बीच इसके बाद किये जाने वाले किसी सहयोग के करार पर इस करार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद VIII

- (1) यह करार हस्ताक्षर होने की तारीख से लागू माना जायेगा । यह दो वर्षों की अविध तक लागू रहेगा और उसके बाद भी यह प्रभावी बना रहेगा बशर्ते आरिभक दो वर्षों की समाप्ति अथवा उसके पश्चात् किसी भी सरकार ने कम से कम क्षः महीने पहले लिखित रूप से इसे समाप्त करने की अपनी मंशा की सूचना न दे दी हो ।
- (2) इस करार की समाप्ति की स्थिति में इस करार के अधीन पहले से क्रियान्वित की जा रही किसी ऐसी परियोजना अथवा कार्यक्रम पर असर नहीं पड़ेगा जो इस करार के अन्तर्गत शुरू की गई हैं लेकिन इसकी समाप्ति के समय पूर्णतः निष्पादित नहीं हुई हैं ।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, अपनी-अपनीं सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत किये जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किये ।

यह करार आज जनवरी मास के आठवें दिन नई दिल्ली में अंग्रेजी तथा हिन्दी में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न हुआ । ये सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं ।

यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तया नॉदर्न आयरलैंड की सरकार की ओर से भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

IAN LANG

B. CHATURVEDI



Published by The Stationery Office Limited

and available from:

The Publications Centre

(Mail, telephone and fax orders only) PO Box 276, London SW8 5DT General enquiries 0171 873 0011 Telephone orders 0171 873 9090 Fax orders 0171 873 8200

The Stationery Office Bookshops

49 High Holborn, London WCIV 6HB (counter service and fax orders only) Fax 0171 831 1326 68-69 Bull Street, Birmingham B4 6AD 0121 236 9696 Fax 0121 236 9699 33 Wine Street, Bristol BS1 2BQ 01179 264306 Fax 01179 294515 9-21 Princess Street, Manchester M60 8AS 0161 834 7201 Fax 0161 833 0634 16 Arthur Street, Belfast BT1 4GD 0123 223 8451 Fax 0123 223 5401 The Stationery Office Oriel Bookshop The Friary, Cardiff CF1 4AA 01222 395548 Fax 01222 384347 71 Lothian Road, Edinburgh EH3 9AZ (counter service only) In addition customers in Scotland may mail, telephone or fax their orders to: Scottish Publication Sales, South Gyle Crescent, Edinburgh EH12 9EB

Accredited Agents

(see Yellow Pages)

and through good booksellers

0131 479 3141 Fax 0131 479 3142

